पत्र संख्या- आई0टी0-NICकम्प्यूटराइजेशन साफ्टवेयर(डीम्ड क0नि0)/(2012-13)/ 327/**1213033** /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(आई0टी0-अनुभाग)

लखनऊ::दिनॉक::**जुलाई** 12 **2012**

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
वाणिज्य कर, उ0प्र0।
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)
वाणिज्य कर, उ0प्र0।

विषय:- डीम्ड कर निर्धारण की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के सम्बन्ध में।

डीम्ड कर निर्धारण की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 2009-2010 व आगे के वर्षो में कार्यवाही हेतु मुख्यालय से परिपत्र संख्या-289/1212014 दिनांक 22-05-2012, 233/1213020 दिनांक 07-06-2012, 295/1213027 दिनांक 03-07-2012,296/1213028 दिनांक 03-07-2012 व परिपत्र संख्या- 297/1213029 दिनांक 03-07-2012 जारी किये गये हैं।

उक्त परिपत्रों में से परिपत्र संख्या- 233/1213020 दिनांक 07-06-2012 तथा 295/1213027 दिनांक 03-07-2012 डीम्ड कर निर्धारण की श्रेंणी से बाहर किये गये वादों की प्रविष्टि central VYAS server पर किये जाने की प्रक्रिया सूचित की गयी है। यह ज्ञात हुआ है कि पूर्व वर्षों में कुछ वार्षिक रिटर्नों की रसीदें अन्य श्रेणी की रसीदों में जारी हो गयी हैं जिसके कारण वार्षिक रिटर्न दाखिल करने वाले व्यापारियों की सूची में ऐसे व्यापारियों का नाम प्रदर्शित नहीं हो रहा है। अत: यदि किसी मामले में ऐसा पाया जाता है कि वार्षिक रिटर्न की रसीद किसी अन्य श्रेणी में कटी होने के कारण व्यापारी का नाम वार्षिक रिटर्न दाखिल करने वाले व्यापारियों की सूची में प्रदर्शित नही हो रहा है तो सम्बन्धित अधिकारी central VYAS server पर अपने sector login पर जाकर Receipt Entry for Deemed Assessment को क्लिक करेंगें एवं इससे सम्बन्धित रसीद का क्रमांक डालकर कर निर्धारण वर्ष एवं रिटर्न का सही प्रकार (फार्म-26, 26ए आदि) अंकित करते हुए Submit बटन को क्लिक करेंगे जिसके पश्चात सम्बन्धित रसीद वार्षिक रिटर्नों की सूची में प्रदर्शित होने लगेगी।

कृपया उक्त प्रक्रिया से समस्त अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें तथा उन्हें यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने का कष्ट करें कि उक्त कारण से किसी व्यापारी का नाम सूची में न होने से कोई व्यापारी डीम्ड कर निर्धारण की श्रेणी से बाहर न हो जाय।

(एम0 के0 सिंह)
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (आई0टी0) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।